पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 189/2024 दिनांक- 15.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

गोवध करने वाले गैंग के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 32 प्रतिन्धित पशु, 05 चापड़, 02 छूरी बरामद तथा मौके से फरार 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार; मुठभेड के दौरान 02 पिस्टल, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

पूर्व की घटना- कल दिनांक 14.06.2024 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज विनय कुमार सिंह मय हमराह नसीरपुर चौराहे पर मौजूद थे कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह व उ0नि0 संजय उपाध्याय मय हमराह आकर मिले। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को सूचना मिली कि ग्राम नसीरपुर में परवेज के हाते में प्रतिन्धित पशुओं को रखा गया है। कुछ लोग मिलकर उनके मांस की बिक्री करने की फिराक में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय फोर्स ग्राम नसीरपुर में परवेज के हाता पर पहुचे। थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय फोर्स द्वारा घेराबन्दी कर वहां मौजूद व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें 03 अभियुक्तों 1-तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 2- वसिक शेख पुत्र औरंगजेब निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 3-हाजिम खान पुत्र अशहद अली निवासी गुलवारी गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 17.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा कुछ लोग मौके से फरार हो गये।

➡ मौके से 32 प्रतिबन्धित पशु, 04 लकडी की ठीहा, 05 चापड़, 02 छूरी बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 213/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी/मुठभेड का विवरण- आज दिनांक 15.06.2024 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज विनय कुमार सिंह मय हमराह मौके से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु शहाबुद्दीनपुर तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि नसीरपुर परवेज के हाता से फरार अभियुक्त 1- सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ, अपने साथी 2- ताहिर पुत्र हसन रजा निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ के साथ मोटर साईकिल से छिही - बागवार नहर पुलिया होते हुए नसीरपुर जाने वाला है । जो कही भागने की फिराक में है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय हमराह **बागवार नहर पुलिया** के पास पहुँचकर बदमाशों का इंतजार करनें लगे कि कुछ समय पश्चात 01 मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें रुकने का इशारा किया परन्तु मोटर साइकिल सवार बदमाश पुलिस बल को देखकर एकाएक गाड़ी मोड़कर भागनें का प्रयास किये परन्तु गाड़ी फिसलकर गिर गयी। उक्त दोनों बदमाश अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। पुलिस बल द्वारा बदमाशो को आत्मसमर्पण करनें की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिगं की गयी जिसमें अभियुक्त 1-ताहिर पुत्र हसन रजा निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के बायें पैर में तथा अभियुक्त 2-सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष के दाहिनें पैर में गोली लगी जिन्हे समय करीब 02:32 बजे हिरासत मे लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ रवाना किया गया।

➡ मौके से 02 पिस्टल, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 214/24 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तो ने बताया कि यह हाता परवेज, अनीश, मास्टर नेयाज व अयु शहमा समस्त पुत्र अब्दुल हमीद के नाम से है। जिसका संचालन परवेज करता है। अभियुक्त 1-सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद, 2-मुजा कुरैशी पुत्र पल्टू उर्फ शमशाद, 3-खालिद पुत्र शमीम, 4-ताहिर पुत्र हसन रजा, 5-जमालु उर्फ जमालुद्दीन पुत्र अबरार, 6-नईम पुत्र भुवर उर्फ अली रजा, 7-अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू, 8-तालिव पुत्र हसन रजा उर्फ दिंनकू, 9-परवेज पुत्र अब्दुल हमीद अनुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू, 10-जावेद पुत्र नेसार अहमद, 11-तारिक पुत्र इरशाद उर्फ लूजा, 12-मु० शाहिद पुत्र अलीशाह समस्त निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ व 13-शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पतोई टूफलपुरा बेलथरा रोड जनपद बलिया का एक गिरोह है। जो रात्रि में आस पास के आवारा पशुओ को पकड़कर परवेज के हाते में वध करके मांस विक्रय करते है। घायल अभियुक्त कल दिनांक 14.06.2024 को ग्राम नसीरपुर से फरार हो गये थे तथा पुलिस से बचने हेतु कही भागने की फिराक में थे।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयूध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 214/2024 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़। (मुठभेड़ से सम्बन्धित)

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-

1- तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
2- वासिक शेख पुत्र औरंगजेब निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
3- हाजिम खान पुत्र अशहद अली निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
4- ताहिर पुत्र हसन रजा निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष। **(घायल)**
5- सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष। **(घायल)**

बरामदगी-

1- 32 प्रतिबन्धित पशु, 04 लकडी की ठीहा, 05 चापड़, 02 छूरी
2- 02 पिस्टल, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद **(मुठभेड से)**

आपराधिक इतिहास-

ताहिर पुत्र हसन रजा

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	88/24	धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम	बरहज	देवरिया
2	213/24	धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट आजमगढ़	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	214/24	307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0	बिलरियागज	आजमगढ़

सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	213/24	धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट आजमगढ़	बिलरियागंज	आजमगढ़
2	214/24	307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0	बिलरियागज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष बिलरियागंज उ0नि0 विनय कुमार सिंह, उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद, उ0नि0 संजय उपाध्याय, उ0नि0 लवकुश सोनकर, हे0का0 सतीश शर्मा, हे0का0 रामनिवास यादव, का0 महेन्द्र मौर्या, का0 महेन्द्र कुमार मौर्या का0 छट्टू कुमार साहनी, का0 संदीप जायसवाल, का0 संजय सिंह, म0का0 प्रेमलता पाण्डेय, म0का0 सुमन पासवान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।